न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—403/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/403)

1. श्रीमती जसोदा पत्नि श्री शोभागसिंह परिहार पुत्री सुवालाल जाति माली निवासी कानजी पनजी गली शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती कौश्ल्या पत्नि स्व0 श्री श्यामलाल चौहान पुत्री सुवालाल जाति माली निवासी मकान नम्बर 525 आजाद नगर पुराना मसूदा रोड, गजानन्द स्टील फर्नीचर के सामने, ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
3. श्रीमती राजू उर्फ राजकुमारी पत्नि श्री मंगलचंद गहलोत पुत्री श्री सुवालाल जी जाति माली निवासी मकान नम्बर 12 गणेश धर्मकांटा के सामने, अजमेर रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती सूरज बेवा सत्यनारायण
2. अनिल भाटी पुत्र स्व0 सत्यनारायण
3. संजय भाटी पुत्र स्व0 सत्यनारायण
4. श्रीमती सुनिता पुत्री स्व0 सत्यनारायण
5. श्रीमती रेणू पुत्री स्व0 सत्यनारायण
6. बाबूलाल भाटी पुत्र स्व0 गुलाबचंद
   सभी जाति माली निवासी सूरजपोल गेट के भीतर मालियान मौहल्ला ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
7. बलवीर कुमार दगदी पुत्र स्व0 प्रमोद कुमार
8. अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रमोद कुमार जगदी जाति माली निवासी वृंदावन मकान नम्बर 7 न्यू बैंक कॉलोनी, आदर्श नगर गली नम्बर 2 ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
9. श्रीमती शशी उर्फ सुशीला पुत्री स्व0 प्रमोद कुमार पत्नि श्री मनोज चौहान जाति माली निवासी पाल बिचला दयाल बीडी वाले, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
10. सुनिल कुमार दगदी पुत्र स्व0 श्री प्रमोद कुमार दगदी जाति माली निवासी भवानी मण्डी रोड, गणेशनगर, मानसरोवर, जयपुर।
11. श्रीमती रूकमणी दगदी पत्नि स्व0 श्री ओमप्रकाश
12. सुरेश दगदी पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश दगदी (मृतक) जरिए वारिसानः—
    12/1 श्रीमती सुधा पत्नी श्री सुरेश
    12/2 तनवी पुत्री श्री सुरेश
    12/3 इशा पुत्री श्री सुरेश
    12/4 गर्वित पुत्री श्री सुरेश
13. पूरण दगदी पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश दगदी
14. मुकेश दगदी पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश दगदी
    सभी जातिमाली निवासी आदर्श नगर, अजमेर रोड गली नम्बर 1 (जनकपुरी) ओम धर्मकांटे वाले, ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
15. श्रीमती मीनाक्षी पुत्री स्व0 श्री ओमप्रकाश दगदी पत्नि श्री पदमजी सिंगोदिया जाति माली निवासी बोहरा कॉलोनी, पटेल स्कूल के सामने, खाद बीज वाले, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
16. शेषकरण दगदी पुत्र स्व0 श्री सुवालाल जाति माली निवासी मकान नम्बर 169 सूरजपोल गेट के अंदर, शीतला माता मंदिर के पास, केलीदेवी सांखला गली ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
17. श्रीमती मंजू पुत्री सुवालाल जातिमाली निवासी मकान नम्बर 525 आजाद नगर, पुराना मसूदा रोड गजानन्द स्टील फर्नीचर के सामने ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

18. रमेश दगदी पुत्र स्व0 सुवालाल जाति माली निवासी मकान नम्बर 169 सूरजपोल गेट के अंदर शीतला माता मंदिर के पास, केलीदेवी सांखला गली, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

19. श्रीमती सुमन पत्नि श्री रामकुमार सांखला पुत्री सुवालाल जाति माली निवासी मकान नम्बर 447 निवासी प्राईवेट नया बस स्टेण्ड के सामने विजयनगर रोड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2022 राजस्व वाद संख्या 35/1998(1998/00005).

उपस्थितः–
1. श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 20
4. रेस्पोडेंट संख्या 07 से 19 अनुपस्थित

निर्णय-

दिनांकः–22.01.2025

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 35/1998 (1998/00005) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमती हुलासी द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। वादीया श्रीमती बिदामी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम में अंकित कथनों से इंकार किया एवं विक्रय विलेख दिनांक 23.9.1972 व नामांतरकरण दिनांक 28.4.1998 अवैध तथा प्रभाव शून्य नहीं होना अंकित किया। वाद पत्र के विचाराधीन रहते हुए वादीया की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश अंतर्गत द्वितीय अपील दिनांक 19.10.2022 को प्राथमिक आज्ञप्ति जारी की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 35/1998(1998/00005) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2022 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 07 से 19 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि सिविल न्यायालय के समक्ष मात्र रास्ते बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया था शेष आराजीयात वाद पत्र की विषय वस्तु नहीं थी एवं शेषकरण एवं रमेश के अतिरिक्त शेष व्यक्तियों के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। ऐसी स्थिति में राजीनामा दिनांक 3.10.2019 आदेश 23 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया शून्य है तथा सिविल वाद एवं राजरव वाद के अनुतोष भी भिन्न–भिन्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

है एवं प्रकरण की विषय वस्तु भी पृथक–पृथक है। सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित राजीनामा अंतिम रूप ले चुका था तो उक्त वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुती की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वादीया को सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही डिक्री की पालना करवानी चाहिए थी एवं पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक विभाजन नहीं हुआ एवं जिन पक्षकारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई वह भी रिकार्डेड सह खातेदार है जिन पर सिविल न्यायालय द्वारा राजीनामा अनुसार पारित आज्ञप्ति दिनांक 3.10.2019 लागू नहीं होती है जिससे अधीनस्थ न्यायालय धारा 151 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर वाद पत्र का निर्णय पारित नहीं कर सकते थे। श्रीमती हुलासी द्वारा खसरा नम्बर 705, 706, 708 व 711 बाबत विक्रय पत्र दिनांक 23.9.1972 पंजीकरण दिनांक 4.10.1972 निष्पादित किया गया, उक्त खसरा नम्बरान में श्रीमती हुलासी का 1/2 हिस्सा निहित था जिस बाबत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया लेकिन खसरा नम्बर 702, 703, 707, 712 एवं 713 बाबत श्रीमी हुलासी द्वारा कोई विक्रय पत्र आज दिनांक निष्पादित नहीं किया गया है जिससे उक्त आराजीयात में श्रीमती हुलासी के वारिसान का 1/2 हिस्सा निहित है जिससे उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी/सह काश्तकारी में ही दर्ज है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किए बिना आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है। सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 3.10.2019 के अनुसार भी खसरा नम्बर 711 रास्ता भूमि है एवं इकरारनामा दिनांक 4.10.1972 के अनुसार धोरा/रास्ता अंतर्गत खसरा नम्बर 711 को दोनों पक्षकारान उपयोग–उपभोग में लेंगे अंकित किया गया है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता/धोरा खसरा नम्बर 711 बाबत भी वादीगण के पक्ष में आज्ञप्ति जारी कर दी गई अर्थात एक तरफ सिविल न्यायालय के निर्णय अनुसार धारा 151 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर आज्ञप्ति जारी की जा रही है, दूसरी और सिविल न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के विपरीत आज्ञप्ति में अंकन किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया था जिस पर उनके द्वारा आज्ञप्ति जारी कर दी गई जबकि धारा 151 जा0दी0 में आज्ञप्ति जारी करने बाबत कोई प्रावधान प्रावधित नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 35/1998(1998/00005) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने एक वादपत्र पेश कर कथन किया कि मौजा नयानगर तहसील ब्यावर में खसरा नम्बर 702, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713 व 2176/710 कुल रकबा 06–17–10 स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात को वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 14.7.1975 के जरिए खरीद किया था। इसलिए वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 का प्रत्येक का उक्त भूमियों में 1/2 हिस्सा था। वादीया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बाहमी विभाजन वादग्रस्त भूमियां के विषय में हो चुका था और उसके कारण से वादीया के हिस्से में खसरा नम्बर 702, 703, 707, 712, 713 आए और उस पर वादीया का अकेली का पृथक से कब्जा कायम हो गया था, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 709, 705, 708, 710, 706, 711 व 2176/710 आकर उसका पृथक से अकेली का कब्जा चला आ रहा था। इस तथ्य को प्रतिवादी संख्या 1 ने रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 23.09.1972 एवं इकरारनामा दिनांक 4.10.1972 में भी स्वीकार किया है किंतु उक्त विभाजन राजस्व अभिलेखों में अनपढ होने के कारण से दरसाया नहीं जा सका। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में बाहमी बंटवारा से आए थे जिस पर उसका अकेली का कब्जा चला आ रहा था उसमें से 705, 708, 706, 711 की भूमियां जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 23.9.1972 के वादीया को बेचान कर दी व भूमि का कब्जा उसी दिन वादीया को संभला दिया। वादीया के हिस्से में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बाहमी बंटवारा से जो खसरा नम्बर 702, 703, 707, 712, 713 हिस्से में आए थे उन पर भी वादीया का अकेली का पहले से ही कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 709, 710, 2176/710 की भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में बाहमी बंटवारा में आई थी और उसी के अनुसार ही खातेदार रही है। प्रतिवादी की नियत खराब हो गई और वे वादीया के खसरा नम्बर 708 में पत्थर खडे करने के लिए आमादा हुए तो वादीया ने उसे दिनांक 22.4.1998 को मना किया तो प्रतिवादीया ने वादीया को धमकी दी कि वे खसरा नम्बर 708 व 705 में भी कातले गाडेंगे व जबरन पक्की दीवार बनाकर डंडे के जोर से नया रास्ता निकालेंगे तथा नाजायज अतिक्रमण करने के लिए आमादा है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजीयाता से वादीया को बेदखल नहीं करे तथा वादीया के खसरा नम्बर 708 व 705 व अन्य भूमियों में किसी भी प्रकार से निर्माणात आदि नहीं करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया वाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय दिनांक 19.10.2022 को किया गया व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार श्रीमती हुलासी व श्रीमती बिदामी द्वारा विवादित आराजीयात को दिनांक 14.7.1965 को जरिए रजिस्टर्ड बैचाननामा के बहिस्से बराबर खरीद किया था व बैचाननामे के अनुसार दोनों ने आपसी समझौते से अपनी सहुलियत अनुसार मौके पर अपने हिस्से व खसरान बांट लिए है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 709, 705, 708, 710, 706, 711, 2176/710 हुलासी के हिस्से व काश्त में आए तथा शेष खसरा नम्बरान 702, 703, 707, 712, 713 बिदामी के हिस्से व कब्जे काश्त में आए। जिसमें उक्त बैचाननामे के जरिए श्रीमती हुलासी ने हाल खसरा नम्बर 705, 708, 706, 711 पूरा खसरा का बैचान श्रीमती बिदामी को किया जाना अंकित है। श्रीमती हुलासी के पास अपने हिस्से में से उक्त खसरान बेचे जाने के बाद खसरा नम्बर 709, 710, 2176/710 शेष रहे है। श्रीमती हुलासी वगैरह बनाम श्रीमती बिदामी वगैरह द्वारा एक वाद माननीय सिविल न्यायालय के यहां दीवानी वाद संख्या 32/2019 (2/1998) में हुलासी के वारिसान व बिदामी के वारीसान द्वारा राजीनामा दिनांक 03.10.2019 को पेश किया गया जो राजीनामा सिविल न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर स्वीकार किया गया और राजीनामा के अनुसार दिनांक 03.10.2019 को डिक्री भी पारीत की गई। राजीनामा के अनुसार भूमि खसरा नंबर 709, 710, 2176/710 हुलासी के वारीसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/4 व प्रतिवादी 7 का नाम राजस्व अभिलेखों आदि में अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा सकेंगे। इसी प्रकार भूमि खसरा नंबर 702, 703, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 713 भी उक्त बिदामी के वारीसान प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 व 3 अपने नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा सकेंगे तथा एक दूसरे पक्षकारान से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं कर सकेंगे। राजीनामें के आधार पर पारित डिक्री दिनांक 03.10.2019 के पैरा संख्या 8 में भी स्पष्ट किया गया है कि उभयपक्षकारान के मध्य इस वाद के अलावा जो राजस्व मुकदमा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में बिदामी वगैरह बनाम श्रीमती हुलासी वगैरह का विचाराधीन है, उसमें उभयपक्षकारान के बीच राजीनामा पेश कर प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 व 3 के हक में डिक्री पारित करा ली जायेगी। इसी राजीनामा के अनुसार सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई तथा उक्त राजीनामा में स्वंय प्रतिवादी शेषकरण उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त राजीनामा व डिक्री के विरुद्ध किसी भी प्रकार की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कोई अपील अथवा रिवीजन भी प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है। राजीनामा में पक्षकारान ने स्वीकार किया गया है, कि एक दूसरे पक्षकारान से वह किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नही कर सकेंगे। अतः उक्त राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिनुसार है जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय हाजा में खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 35/1998 (1998/00005) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुने इजलास सुनाया गया।

22/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

,Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

श्रीमती जसोदा पत्नि श्री श्री शोभागसिंह परिहार पुत्री सुवालाल जाति माली निवासी कानजी पनजी गली शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

बनाम

श्रीमती सूरज बेवा सत्यनारायण जाति माली निवासी सूरजपोल गेट के भीतर मालियान मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 403/2022 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायाक कलक्टर ब्यावर मुबर्खे 19 माह 10 सन् 2022, प्रकरण संख्या 35/1998(1998/00005) बउनवानी श्रीमती बिदामी बनाम हुलासी वगै.)

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 राज0 काश्त0 अधि0

यह अपील ब तारीख 22 माह 01 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री अजीत सिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट,श्री ईश्वर देवडा,अभिभाषक रेस्पों संख्या 01 से 06,श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 20,रेस्पों संख्या 07 से 19 अनुपस्थित, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:– अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 35/1998(1998/00005) में पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 19.10.2022 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्वत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 22 माह 01.सन् 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी मोहर अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोट–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner